

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी 3/1, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, लिविंग लाइन्स फार्ट, जयपुर।

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी /आरएण्डपी / सान्याअवि/2012/15265 जयपुर दिनांक 23/12/18

परिपत्र

विधि विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(48)/विधि/2/2017 जयपुर दिनांक 17/12/2017 में वर्णित राजस्थान पिछड़ा वर्ग (राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में आरक्षण ) अधिनियम 2017 की धारा 2 डी, एफ में अंति की सेवाओं में वर्णित किया गया है जिसके अन्तर्गत पांच जातियों यथा 1.बंजार, पिछड़ा वर्ग को अनुसूची में वर्णित किया गया है जिसके अन्तर्गत पांच जातियों यथा 1.बंजार, बालदिया, लबाना 2.गाडिया लोहार, गडोलिया 3.गुजर, गुर्जर 4.साईका, ईबारी, देवासी 5.गडरिया(गाडी) गायरी को रखा गया है।

कार्यक्रम किया गया द्वारा जारी की गयी अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)/डीओपी/ए-2/2017 जयपुर दिनांक 21.12.2017 के द्वारा अंति पिछड़ा वर्ग को राज्य में शैक्षणिक संस्थाओं की सीटों में प्रवेश एवं राज्य की सेवाओं में नियुक्तियों एवं पदों में एक प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार जिन व्यक्तियों के अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र में यदि उक्त जातियों का अंकन किया गया हो तो उपरोक्त जातियों के व्यक्तियों को उपर वर्णित प्रावधानों के अनुसार लाभ देय होगा।

(जे.सी. महान्ती)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

क्रमांक :एफ11(125)एमबीसी /आरएण्डपी / सान्याअवि/2012/15266-जयपुर दिनांक 23/12/18  
366

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है:-

1) प्रमुख शासन सचिव, महाराहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर

2) प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार जयपुर

3) वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर

4) अध्यक्ष राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

5) विशिष्ट सहायक, समस्त मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण राजस्थान सरकार जयपुर

6) समस्त अतिरिक्त / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर

7) समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान सरकार, जयपुर

8) सचिव, राजस्थान विधानसभा, शासन सचिवालय, जयपुर

9) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज्य

10) सचिव, राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जयपुर राज्य

11) सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जयपुर, राज्य

12) समरत संभागीय आयुक्त

13) समरत जिला कलक्टर

14) समरत जिला पुलिस अधिकारी

15) सचिव समरत आयोग / बोर्ड

16) उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं वृक्षिकालिता विभाग

17) गाड़ फाईल।

अतिरिक्त मुख्य सचिव